**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 141**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**साइबर अपराधों के संबंध में अध्ययन**

**†\*141. श्रीमती कहकशां परवीनः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं का प्रभाव बच्चों से वयस्कों तक सभी पर हो रहा है;**

**(ख) क्या बढ़ते साइबर अपराधों के देश के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और**

**(ग) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई तैयारियों का ब्यौरा क्या है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी )**

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**-2-**

**रा.स.ता.प्र.सं.141 दिनांक 04.03.2020**

**‘साइबर अपराधों के संबंध में अध्‍ययन’ के बारे में दिनांक 04 मार्च, 2020 के राज्‍य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*141 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने, उनकी जांच और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। विधि प्रवर्तन एजेंसियां (एलईए) अपराधियों के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्रवाई करती हैं।

भारत के आर्थिक विकास पर साइबर अपराधों के प्रभावों के संबंध में कोई विशिष्‍ट अध्‍ययन गृह मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता में सुधार होने के कारण साइबर अपराधों की घटनाओं की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए विभिन्‍न उपाय किए हैं। इनमें अन्‍य के साथ-साथ निम्‍नलिखित उपाय शामिल हैं :

1. महिलाओं और बच्‍चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से जुड़ी साइबर अपराध घटनाओं की ऑनलाइन सूचना देने में समर्थ बनाने हेतु राष्‍ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ([www.cybercrime.gov.in](http://www.cybercrime.gov.in)) को क्रियाशील बनाया गया है।
2. साइबर अपराधों से समन्वित और व्‍यापक तरीके से निपटने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) को एक कार्य ढांचा और ईको-सिस्टम उपलब्‍ध कराने की दृष्टि से नई दिल्‍ली में भारतीय साइबर अपराध समन्‍वय केंद्र (आई4सी) स्‍थापित किया गया है।
3. साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना; चेतावनी/एडवाइजरी, आदि जारी करना।
4. साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं को बेहतर बनाना।
5. विधि प्रवर्तन कार्मिकों/अभियोजकों/न्‍यायिक अधिकारियों का क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण।

\*\*\*\*\*\*